न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

: 17/366

1. हनीफ आयु 48 साल आत्मज स्वर्गीय कालू खॉ जाति मुसलमान ।
2. आबिद आयु 24 साल आत्मज स्वर्गीय निसार जाति मुलसमान ।
3. हफीज आयु 40 आत्मज स्वर्गीय निसार जाति मुसलमान ।
4. श्रीमती जमीला बेवा निसार जाति मुसलमान ।
5. फरजाना पुत्री स्वर्गीय निसार पत्नी मो0 शरीफ निवासीगण अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल आत्मज स्वर्गीय मान्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम बीजडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रामकिशन आत्मज स्वर्गीय मान्या जाति कुम्हार ।
3. धन्ना आत्मज स्वर्गीय मान्या जाति कुम्हार निवासीगण अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
4. श्रीमान् तहसीलदार तहसील, हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 31.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.1991 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद घोषणा सम्बन्धी ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा संख्या 17 रकबा 12 बिस्वा (मिन 17/2) के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.1991 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार वादी के पक्ष में डिक्री कर वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.1991 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.1991 से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए है क्योंकि आराजी खसरा नम्बर 11 व 12 के पूर्व तथा बून्दी दबलाना रोड के मध्य की 15 बिस्वा भूमि आराजी खसरा नम्बर 23 की भूमि है जो कालू आत्मज हसन खॉ के खातेदारी की भूमि थी जिस पर हसन खा के स्वर्गवास के उपरान्त अपीलान्ट के खाते दर्ज हुई जिसका अपीलान्ट खातेदार है । अतः अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित पक्षकार होने से उसे प्रस्तुत प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने स्वयं को प्रभावित पक्षकार बताया है ऐसी स्थिति में हम न्यायहित में अपीलान्ट को प्रस्तुत करने में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित समझते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए उसे उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हुई । इसलिए अपीलान्ट उक्त अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका था । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री कर दिया । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 11 के उत्तर – पश्चिम में कालू आत्मज हसन खॉ के खातेदारी अधिकार की आराजी खसरा नम्बर 23 की भूमि है जो खसरा नम्बर 22 की पूर्वी मेर तथा आराजी खसरा नम्बर 11 व 12 की पूर्वी मेर तथा आम सडक के बीच में बिना नम्बर के दिखाया गया है । उक्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा धारा 146 (2) के तहत भूमि को कुर्क करके अराजी खसरा नम्बर 23 के उत्तरी भाग पर कब्जा प्राप्त किया था । रिसीवर के निर्णय के विरूद्ध कालू आत्मज हसन खॉ द्वारा जिला कलक्टर बून्दी के न्यायालय में अपील करने पर जिला कलक्टर बून्दी द्वारा दिनांक 13.07.1998 को आदेश पारित कर रिसीवर की कार्यवाही को खारिज कर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा कालू खॉ की भूमि पर प्राप्त किये गये कब्जे को उसे संभलाने का आदेश दिया था। एसएचओ दबलाना ने कालूखॉ के खातेदारी भूमि पर कब्जा प्राप्त किया था । उस जगह को

की हसन खॉ को संभलाया जावे । उक्त निर्णय के अलावा दिनांक 10.01.1990 अपील प्राधिकारी महोदय कोटा द्वारा निर्णय पारित कर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कालू खॉ के विरूद्ध की गई कार्यवाही की अपील आराजी खसरा नम्बर 10 पर कालू खॉ को कोई कब्जा नहीं माना था । आराजी खसरा नम्बर जो सिवायचक है उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 11 के उत्तर पश्चिम में है तथ आराजी खसरा नम्बर 23 स्वयं कालू की खातेदारी की है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.1991 निरस्त किया जावे तथा आराजी खसरा नम्बर 11 व 12 के पूर्व में तथा बून्दी दबलाना रोड के मध्य की 15 बिस्वा भूमि जो वास्तव में आराजी खसरा नम्बर 23 की भूमि है उसे खसरा संख्या 11 का भाग घोषित किये जाने के उक्त निर्णय को निरस्त फरमाया जावे । अपीलान्ट के खाते व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 15 बिस्वा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्ट को पाबन्द फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये है वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने जो वाद प्रस्तुत किया था उसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था जबकि अपीलान्ट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार है । अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया गया है और अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार माना है । अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है और वह अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष साक्ष्य गवाह, बयान से साबित करेगा ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को विचारण न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.1991 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों को सुनवाइ एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 26.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा